बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी॰आर॰– 16/2017

+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के डिग्री सम्बद्ध इन्टर महाविद्यालय, विद्यालय एवं बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् (निरसित) से प्रस्वीकृत/अनुशंसित/स्थापना अनुज्ञा कोटि के सभी अनुदानित विद्यालय/महाविद्यालय के प्रबंधनों/प्राचार्यों/प्रभारी प्राचार्यों के लिए आवश्यक निर्देशः–

एतद् द्वारा राज्य में +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले उपरोक्त सभी संस्थानों के प्रबंधन/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि :–

01. अनुदान वितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, योगदान/नियुक्ति की तिथि/सेवानिवृति की तिथि/अनुदानित खाता संख्या/अनुदान की राशि आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

02. माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त वैध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी जिन्हें अनुदान वितरण किया जा रहा है, उनके अनुदान वितरण संबंधी खाता को एक माह के अन्दर आधार नम्बर से आवश्यक रूप से Link किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी सूचना समिति कार्यालय के सम्बद्ध शाखा को प्राप्त कराया जाय।

03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक–896 दिनांक 28.07.2010 के द्वारा निर्दिष्ट समिति के द्वारा सीट वृद्धि के उपरान्त दिनांक 26.03.2008 तक विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच अनुदान की राशि का वितरण किया जाना है, तथा विभागीय संकल्प संख्या–381 दिनांक 09.03.2010 के आलोक में दिनांक 26.03.2008 के बाद नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान का भुगतान जाँचोपरान्त किया जायेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

04. बिना कारण के समिति कार्यालय/संबंधित शाखा से सम्पर्क नहीं करें तथा इधर–उधर नहीं टहलें।

उपरोक्त अंकित निर्देशों का ससमय आवश्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक (शैक्षिक)